रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012021-224457
CG-DL-E-15012021-224457

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21] **नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2021/पौष 25, 1942**
No. 21] **NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2021/PAUSHA 25, 1942**

गृह मंत्रालय

(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 23 (अ).--- राष्ट्रपति, एतद्द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और गृह मंत्रालय (स्वापक नियंत्रण ब्यूरो) समूह ''ग'' तथा समूह “घ” भर्ती नियम 2007 को जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक ग्रेड - II के पद से हैं , उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में आशुलिपिक ग्रेड-I के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, (आशुलिपिक ग्रेड - I) भर्ती नियम, 2021 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे सम्बद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अर्हताएं, आदि - पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :- वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है,वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक ग्रेड-I	16* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह “ख”, अराजपत्रित अनुसचिवीय।	स्तर - 6 (35400 रु. - 112400 रु.)	चयन।	लागू नहीं।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति- भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	दो वर्ष।	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मेट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपये) में आशुलिपिक ग्रेड-II में दस वर्षों की नियमित सेवा और तीन सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया हो, जिसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वापक नियंत्रण ब्यूरो या स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा अनुमोदित अन्य संस्थान द्वारा तैयार किया जाएगा तथा प्रदान किया जाएगा। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली	1. समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्न सम्मिलित होंगे: (1) उप महानिदेशक (मुख्यालय), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - अध्यक्ष; (2) उप निदेशक (प्रशासन), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - सदस्य ; और (3) उप सचिव / निदेशक (एस), गृह मंत्रालय- सदस्य 2. समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्न सम्मिलित होंगे: (1) उप महानिदेशक (मुख्यालय), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - अध्यक्ष; (2) उप निदेशक (प्रशासन), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - सदस्य ; और (3) उप सचिव / निदेशक (एस), गृह मंत्रालय- सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श अनिवार्य नहीं है।

उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार के अधीन आशुलिपिक पदधारित अधिकारी, - (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर पदधारित ; या (ii) वेतन मेट्रिक्स के स्तर -5 (29200- 92300 रुपये) या समकक्ष स्तर में छह वर्षों की नियमित सेवा की हो; या (iii) वेतन मेट्रिक्स के स्तर -4 (25500- 81100 रुपये) या समकक्ष स्तर में दस वर्षों की नियमित सेवा की हो। टिप्पणी 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. I-12014/51/2017-एन.सी.बी.- II)

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव